प्रारूप

विद्याज्ञान चिकित्सीय परीक्षण संबंधी सहमति पत्र

(चयनित विद्यार्थी के माता/पिता/संरक्षक द्वारा विद्याज्ञान चिकित्सा परीक्षण के संबंध में प्रदान किये जाने संबंधी सहमति का प्रारूप)

मैं...पुत्र/पत्नी...निवासी...
....विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश–2019–20 हेतु नियत लिखित परीक्षाओं के उपरान्त 'शॉर्टलिस्टेड' विद्यार्थी (नाम)...का पिता/माता/संरक्षक हूँ और यह घोषित करता/करती हूँ:–

1. यह कि मैंने चिकित्सा परीक्षण से संबंधित विवरणिका की समस्त सामग्री तथा संबंधित समस्त नियमों एवं शर्तों तथा उसमें विद्याज्ञान प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न प्रभावों को मुझको मेरी अपनी आंचलिक भाषा में पढ़कर समझा दिया गया है, जिसको मैं जानता/जानती हूँ, एवं मैंने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता/करती हूँ।

2. मैं एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता/करती हूँ:–

(अ) यह कि मैं चिकित्सा परीक्षण से संबंधित विवरणिका की समस्त सामग्री तथा उसके साथ दी गयी समस्त नियमों एवं शर्तों तथा उनमें दिये गये विभिन्न प्रभावों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं इसका पूर्ण रूप से सभी समय पालन करूँगा/करूँगी।

(ब) यह कि मुझको विद्याज्ञान के द्वारा संगठित किये गये चिकित्सा बोर्ड के द्वारा मेरे आश्रित के संबंध में किये जा रहे चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

(स) यह कि मैं अपने आश्रित के आवासीय परिसर में रहने के संबंध में और उसके पूर्ण स्वस्थ होने के संबंध में विद्याज्ञान चिकित्सा बोर्ड के द्वारा की गयी सिफारिशों को बिना शर्त के स्वीकार करता/करती हूँ और मैं उसका पालन करता/करती हूँ।

(द) यह कि यदि मेरे आश्रित का विद्याज्ञान में प्रवेश सफल होता है तो मेरे आश्रित द्वारा आवासीय परिसर में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् से अपनी पढ़ाई पूर्ण होने तक, आवास के दौरान विद्याज्ञान द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित समय–2 पर चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(य) यह कि मैंने अपने आश्रित के संबंध में उसके चिकित्सीय स्वास्थ्य की स्थिति तथा उसके पिछले चिकित्सीय इतिहास का पूर्णरूप से वर्णन कर दिया है और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि मैंने ऐसा पूर्णरूप से वर्णन नहीं किया था अथवा मेरा आश्रित आवासीय परिसर में रहने के लिए विद्याज्ञान मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है, तब विद्याज्ञान के द्वारा दिये गये नोटिस पर मैं अपने आश्रित को तुरन्त वापिस ले लूँगा/लूँगी, तथा इस संबंध में विद्याज्ञान का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा, चाहे जो कुछ भी हो।

3. * यह कि मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा आश्रित चिकित्सीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ है तथा विद्यालय की विवरणिका में अंकित की गयी किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं रहा है।

अथवा

* मैं...पुत्र/पत्नी...निवासी...
..............जो कि...का पिता/माता, संरक्षक है एतद् द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरा आश्रित...बीमारी से पीड़ित हो रहा है तथा इसके संबंध में उसका चिकित्सीय इलाज किया जा रहा है।

अथवा

* मैं...पुत्र/पत्नी...निवासी...
..............जो कि...का पिता/माता, संरक्षक है एतद् द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरा आश्रित...बीमारी से पहले पीड़ित रहा था और इसके संबंध में उसका चिकित्सीय इलाज किया जा चुका था।

(* जो लागू न हों उसको काट दें)

दिनांक:...
स्थान:...

हस्ताक्षर विद्यार्थी आवेदक के संरक्षक
नाम...पुत्र/पत्नी...
पता ग्राम...पोस्ट...
तहसील...जनपद...

विद्याज्ञान शिक्षा वर्ष 2019–20 हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

(जिसे अभिभावक द्वारा विद्याज्ञान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा)

सेवा में,
प्रधानाचार्य
विद्याज्ञान स्कूल,
दुलहैरा (बुलन्दशहर)/सुरैंचा (सीतापुर)

(चयनित विद्यार्थी के माता/पिता/संरक्षक द्वारा शपथ–पत्र प्रदान किया जाना, का प्रारूप)

मैं...पुत्र..निवासी.......................आयु.................................
.......वर्ष एतदद्वारा बयान करता हूँ कि मैं..का पिता/माता/संरक्षक होने के नाते समस्त तथ्यों को अपनी आंचलिक भाषा में समझकर वर्तमान में निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक बयान करता हूँ:–

मैं निम्नलिखित सूचनाओं जिनका संबंध मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित के विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश से संबंधित है और यदि सूचनायें असत्य पायी जाती है जिससे मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित का विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश निरस्त हो सकता है, को भलीभाँति समझने के उपरान्त शपथपूर्वक बयान करता हूँ:–

1. यह कि स्वयं मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 हेतु अपनी स्वेच्छानुसार आवेदन किया है और मेरे द्वारा विद्यालय द्वारा प्रेषित 'आमंत्रित पत्र' में लिखित विवरण तथा उसके साथ संलग्न विद्यालयों के नियमों को मुझको मेरी आंचलिक भाषा में समझा दिया गया है और उनमें निहित नियमों का पालन करना मुझे मान्य है;

2. यह कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय के प्रमाण–पत्र के अनुसार मेरी और मेरी पत्नी की शासकीय/अर्द्ध शासकीय अथवा अन्य सेवा जिसमें अंशकालीन सेवा भी सम्मिलित है सहित वार्षिक आय एक लाख रूपया से कम है, सही एवं सत्य है और शपथकर्ता की इसके अतिरिक्त कोई अन्य आय नहीं है जिसे छिपाया गया हो;

3. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित के संबंध में 'स्थायी निवास का प्रमाण–पत्र' राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे स्थायी निवास संबंधी परीक्षण के उपरान्त जारी किया गया है;

4. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय में गत तीन वर्षों तक अध्ययन कर कक्षा 5 उत्तीर्ण की है और विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु दिनांक 09 दिसम्बर 2018 तथा 9 अथवा 10 फरवरी 2019 को आयोजित परीक्षा वर्ष 2019–20 में प्रथम बार ही भाग लिया है और उससे पूर्व में आयोजित किसी अन्य विद्याज्ञान प्रवेश लिखित परीक्षा में कदापि भाग नहीं लिया गया है;

5. यह कि शपथकर्ता इस तथ्य से भिज्ञ है कि शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा स्थापित विद्याज्ञान स्कूल द्वारा मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित की कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा का समस्त व्ययभार ही वहन किया जाता है और कक्षा 12 के उपरान्त किसी अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश अथवा किसी प्रकार के रोजगार का आश्वासन नहीं देता है;

6. यह कि मैं कथन करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/रक्षित विद्याज्ञान स्कूल द्वारा प्रतिबंधित किसी प्रकार की नकदी अथवा वस्तु जिसमें बहुमूल्य वस्तु भी सम्मिलित है अपने साथ नहीं लायेगा और यदि उसके पास ऐसी कोई वस्तु पायी जाती है तो विद्याज्ञान स्कूल को अधिकार होगा कि ऐसी प्रतिबंधित वस्तु को जब्त कर सकें और वस्तु के नष्ट अथवा क्षति होने की स्थिति में विद्याज्ञान किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा;

7. यह कि शपथकर्ता कथन करता है कि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित किसी भी असाध्य बीमारी अथवा संक्रमणीय प्रकृति की बीमारी जिसमें कि मरीज को एकान्त स्थान में रखा जाता है और जो उसे विद्यालय में प्रवेश से प्रतिबंधित करती हो, से ग्रसित नहीं है। मैं यह भी कथन करता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री/रक्षित अपने स्कूल प्रवास के दौरान किसी भी कार्य कलाप में भाग लेते समय दुर्घटना के फलस्वरूप चोट आने पर विद्याज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा और न ही इस प्रकार की शारीरिक क्षति के संबंध में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग करूँगा/करूँगी;

8. यह कि स्कूल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित के आवासीय प्रबंध के संबंध में सामान्य आवश्यकता के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी;

9. यह कि स्कूल द्वारा समय–2 पर मांगी गई सूचनाओं को निर्धारित अवधि में प्रेषित कर दिया जायेगा और निर्धारित अवधि में असफल होने पर विद्यालय को अधिकार होगा कि मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित का प्रवेश निरस्त कर दें;

10. यह कि मेरे स्थायी निवास के पते में किसी प्रकार का संशोधन होगा तो उसे तत्काल तथा बिना किसी विलम्ब के स्कूल को सूचित कर दिया जायेगा;

11. यह कि शपथकर्ता को विधिवत विदित है कि स्कूल की पूर्व एवं विशिष्ठ लिखित अनुमति के बिना मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित विद्यालय के प्रांगण से बाहर नहीं जा सकते हैं और यदि ऐसा कोई उल्लघंन होता है तो मेरे अथवा रक्षित द्वारा स्कूल प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जावेगा;

12. यह कि शपथकर्ता को विदित है कि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित का कारण सहित प्रवेश निरस्तीकरण की स्थिति में विद्यालय का निर्णय अंतिम है और शपथकर्ता द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जायेगी;

13. यह कि शपथकर्ता को भलीभाँति यह तथ्य विदित कराया गया है कि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित के स्कूल में प्रवेश की निरन्तरता उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित के अकादमिक शिक्षा के सफलतापूर्वक अध्ययन पर निर्भर करती है। यदि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित स्कूल के अकादमिक मानकों पर असफल होता है और अपने कार्य कलाप में निरन्तर असफल बना रहता है तो उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित को स्कूल प्रशासन द्वारा बिना किसी अन्य अवसर प्रदान किये स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है;

14. यह कि शपथकर्ता पुनः पुष्टि करता है कि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित भविष्य में किसी ऐसी संक्रमणीय प्रकृति की बीमारी, जिसमें एकान्तवास में रखा जाता है, से ग्रसित पाया जाता है तो स्कूल अपने विवेक से मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित का स्कूल प्रवेश से निष्कासित कर सकते हैं;

15. यह कि शपथकर्ता को विदित है कि स्कूल प्रशासन को अधिकार है कि वह अपने विवेक से ऐसे नियम बना सके जो स्कूल प्रांगण में अनुशासन सुनिश्चित कर सके और यदि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित किसी प्रकार के अनुशासन के उल्लघंन में लिप्त पाये जाते हैं तो स्कूल प्रशासन को अधिकार होगा कि वह मेरे पुत्र/पुत्री/रक्षित को निम्न कारण से निष्कासित कर सकते हैं;
(अ) उदण्ड व्यवहार
(ब) धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित मादक पेय का सेवन
(स) मादक दवाओं का सेवन।
(द) अनुशासनहीनता तथा निरन्तर अवज्ञा।
(य) किसी प्रकार की हिंसा में लिप्त होना।
(र) धार्मिक अथवा जातीय भेदभाव फैलाना एवं व्यवहार करना।
(ल) स्कूल प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य प्रकार की अनुशासनहीनता।
(व) विद्यालय सम्पति को नुकसान पहुँचाना व नष्ट करना।

16. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि यदि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री के विद्यालय में किसी भी खादय द्वारा उत्पन्न संक्रमण के लिए मैं विद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी।

17. यह कि शपथकर्ता कथन करता है कि उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित के किसी भी परिस्थिति में स्कूल से निष्कासन के संबंध में पुनः पुष्टि करता है कि ट्रस्टी अथवा स्कूल प्रशासन से किसी प्रकार की चुनौती नहीं देगा तथा इस संबंध में बिना किसी शर्त के स्कूल के निर्णय को स्वीकार करेगा।

18. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उनका शैक्षणिक प्रधार्शन एवं अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः मैं कोशिश करूँगा कि मेरा पुत्र/पुत्री/रक्षित का प्रदर्शन "ए" ग्रेड से कम नहीं होगा (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में 80 प्रतिशत या 8.4 CGPA से ज्यादा होगा)। मैं यह भी बयान करता हूँ/करती हूँ कि किसी भी स्थिति में मेरे पाल्य से कोई दुर्व्यवहार अथवा विद्यालय की सम्पत्ति का दुरूपयोग या शैक्षणिक प्रदर्शन मुख्य विषयों में 80 प्रतिशत से कम होता है तो उसका प्रवेश विद्यालय से निरस्त किया जा सकता है।

19. मैं बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा बच्चा अनुशासित रहेगा और हम निरन्तर उसे प्रेरित करते रहेंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि किसी भी स्थिति में दुर्व्यवाहर अथवा विद्यालय की सम्पत्ति का दुरूपयोग कभी भी क्ष्म्य नहीं होगा। इसलिए मैं बचन देता हूँ कि अगर मेरे पाल्य द्वारा दुर्व्यवाहर अथवा विद्यालय की सम्पत्ति का दुरूपयोग होगा तो विद्यालय मेरे बच्चे का नाम निरस्त कर सकते हैं।

20. यह कि शपथकर्ता कथन करता है कि यदि विद्यालय प्रशासन द्वारा उसके पुत्र/पुत्री/रक्षित के संबंध में कभी भी अभिभावक को बुलाया जाता है तो उनको अविलम्ब विद्यालय में पहुंचना अनिवार्य होगा।

21. मैं..अपने प्रतिपाल्य...के संबंध में अपनी संस्तुति प्रदान करता हूँ कि वह एन.सी.सी. (राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय) प्राक्षिण/यात्रा/युवा विनिमय कार्यक्रम/क्रीड़ा एवं अन्य राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अंश ग्रहण कर सकता है। मैं यह भी संस्तुति प्रदान करता हूँ कि किसी भी प्रकार की जान माल की आंशिक या पूर्ण क्षति के लिए शिव नाडर फाउंडेशन/विद्याज्ञान स्कूल के किसी भी अध्यापक एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। शिव नाडर फाउंडेशन/विद्याज्ञान स्कूल किसी भी स्थिति में कोई भी आर्थिक क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान करेगा और न ही वह विधिक रूप से इसके लिए बाध्य है।

.... **शपथकर्ता**

<u>सत्यापनः</u>

मैं, उपरोक्त शपथकर्ता..सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन एवं उसके समस्त विवरण सही एवं सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

.... **शपथकर्ता**